हजार रूपये मासिक उनकी माता लीला को अदा करना है। उसमें से दो–दो हजार रूपये हम दोनों अथार्त कुल 4000/– रूपये आज हाजिर अदालत अपीलाण्ट को भुगतान करने एवं बकाया राशि हर महिने लगातार जमा कराने हेतु भी अन्डरटेकिंग दी है।

दोनों ही रेस्पोडेण्टगण को सुना जाकर दोनों की ओर से दो–दो हजार रूपये कुल 4000/– रूपये का उनकी माता को हाजिर अदालत भुगतान कराया, जिसकी प्राप्ती रसीद भी इसी प्रार्थना पत्र पर लीला द्वारा दी गई। वारंटी जवानाराम एवं रमेश कुमार की अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव द्वारा पहचान की गई। इस प्रकार प्रथम मास 22.01.2019 से 22.02.2019 का भुगतान हो गया, शेष बकाया राशि का इसी प्रकार से भुगतान मासिक दो–दो हजार रूपये के हिसाब से उनकी माता लीला को आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2019 को हाजिर अदालत भुगतान कर रसीद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाकर दोनों वारंटी को मुक्त किया गया तथा उनकी माता अपीलार्थी लीला को बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने हेतु निर्देशित किया एवं खाता है तो पासबुक की फोटोप्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। जवानाराम, रमेश कुमार का प्रार्थना पत्र एवं पुलिस कर्मी बैल्ट नम्बर 1096 द्वारा प्रस्तुत दोनों वारन्ट संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली आगामी दिनांक 29.08.2019 को पेश हो।

जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

29/8/19 अपी० लीला उप०
श्रीमान कलेक्टर महोदय बाहर पधारे है पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 23/9/19 को पेश हो।

नि०अ० लीला

23/9/19 अपी० लीला उप०।
रेस्पो० जवान व रमेश उप०।

उपस्थित रेस्पोडेण्टगण द्वारा पूर्व के इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 की पालना में अपीलाण्ट लीला को भरण पोषण हेतु महावारी राशि 2000/– रूपये भुगतान उसी दिवस को किया गया था तथा आगे इसी तरह प्रतिमाह उपरोक्तानुसार राशि भुगतान के दिए गए थे। 30.08.2019 तक एवं 30.09.2019 तक के मासिक दर 2000/– के हिसाब से दोनों पुत्रों ने दो माह के 4000/– रूपये प्रत्येक ने माह अगस्त व सितम्बर 2019 के दोनों के द्वारा कुल 8000/– (अक्षरे आठ हजार रूपये) भरण पोषण की राशि का भुगतान हाजिर अदालत अपीलाण्ट लीला पत्नी नारायणलाल को किया गया। जिसकी रसीद बनाकर दोनों पुत्रों को दी गई।

नि०अ० लीला

आदा की फोटो पास बुक प्राप्त की
रमेश
जवान

जिला कलेक्टर, पाली

लगातार---

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्व आदेश की ही पालना में अपीलाण्ट लीला द्वारा स्वयं के नाम से राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डेण्डा में खुलवाए गए खाता नम्बर 110201484 की पासबुक की छायाप्रति पेश की, जो दोनों पुत्रों को दी गई तथा एक प्रति शामिल मिसल की गई। दोनों पुत्रों को आईन्दा प्रतिमाह 2000/— अक्षरे दो हजार रूपये मासिक राशि का भुगतान अपीलाण्ट लीला के उक्त खाते में जमा कराने एवं रसीद बतौर सबूत रखने हेतु पाबन्द किया तथा इस बाबत अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को समझाईस की गई। अपीलाण्ट को निर्देशित किया गया कि रेस्पोडेण्टगण द्वारा भविष्य में अपीलाण्ट के खाते में राशि जमा नहीं कराने पर, इस संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के समक्ष पालना कराने हेतु अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को बिना किसी विवाद के शान्तिपुर्ण जीवनयापन करने हेतु निर्देश दिए गए। जो दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली को उनकी मूल पत्रावली के साथ तथा उभयपक्ष को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, पाली जिला कलेक्टर, पाली	